रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936
No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

सा.का.नि. 213(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, आवश्यक वस्तुओं अर्थात् खाद्यानों की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि, अर्थात् ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को सिवाय उन चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या जिनको करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए तथा इसमें नीचे उपबंधित के सिवाय निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 है ।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा:

परंतु सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों का किसी राज्य में जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया है या उक्त अधिनियम को केवल भागत: कार्यान्वित कर रहा है में इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के लिए लागू होना जारी रहेगा ।

2. **परिभाषाएं** - इस आदेश में –

(क) **"अधिनियम"** से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) **"आबंटन मास"** से वह मास अभिप्रेत है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए खाद्यानों का आबंटन किया गया है ;

(ग) **"उपाबद्ध"** से इस आदेश से उपाबद्ध अभिप्रेत है;

(घ) **"अपील प्राधिकारी"** से राज्य सरकार द्वारा उस रूप में इस आदेश के खंड 15 के उपखंड (1) के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) **"अंत्योदय अन्न योजना"** से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ और समय-समय पर उपांतरित की गई स्कीम अभिप्रेत है;

(च) **"अंत्योदय गृहस्थी"** से अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचानी गई गृहस्थियां अभिप्रेत है;

(छ) **"प्राधिकृत अभिकरण"** से राज्य सरकार के संबंधित विभाग या निगमित निकाय या उसके स्वामित्वाधीन कंपनी या कोई सहकारी अभिप्रेत है;

(ज) **"निगम"** से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) के अधीन गठित भारतीय खाद्य निगम अभिप्रेत है;

(झ) **"नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी"** से राज्य सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के रैंक के अन्यून अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) **"उचित दर दुकान का स्वामी"** से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई सहकारी सोसाइटी या कोई निगमित निकाय या राज्य सरकार की कोई कंपनी या ग्राम पंचायत या कोई अन्य निकाय है जिसके नाम से दुकान को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;

(ट) **"खाद्य सुरक्षा अधिनियम"** से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(ठ) **"स्थानीय प्राधिकारी"** में पंचायत, नगर पालिका जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायते विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है, अभिप्रेत है;

(ड) **"सामाजिक संपरीक्षा"** से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें लोग सामूहिक रूप से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन को मॉनीटर करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं ;

(ढ) **"राज्य "** में संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ;

(ण) **"राज्य सरकार"** में संघ राज्यक्षेत्र/प्रशासन सम्मिलित है ;

(त) **"सतर्कता समिति"** से राज्य में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है ;

(थ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या खाद्य सुरक्षा अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमश: उनके हैं।

3. **पात्र गृहस्थियों की पहचान—**(1) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायिकी प्राप्त खाद्यानों को प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की राज्यवार प्रतिशत कवरेज उपबंध -1 के स्तंभ 4 में दिए गए अनुसार होगी ।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपाबंध-1 के स्तंभ 5 में उपदर्शित सहायिकी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र गृहस्थियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के कवरेज पर राज्यवार अधिकतम सीमा निम्नलिखित दो प्रवर्गों के अधीन होगी –

(i) विद्यमान अंत्योदय गृहस्थियां;

(ii) शेष को इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मानदंड के अनुसार, पहचान की जाने वाली पूर्वीकता प्राप्त गृहस्थी श्रेणी के अधीन कवर किया जाएगा ;

(3) राज्यवार अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या राज्य में स्वीकृत अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या से जैसा कि उपाबंध- 1 के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट है, से अधिक नहीं होगी :

परंतु जब कोई अंत्योदय गृहस्थी राज्य से बाहर प्रवास के कारण, सामाजिक या आर्थिक प्रास्थिति में सुधार, मृत्यु आदि के कारण अपात्र हो जाती है तो उस राज्य में किसी नई अंत्योदय गृहस्थी की पहचान नहीं की जाएगी और उस सीमा तक कुल अंत्योदय गृहस्थियां कम हो जाएंगी ।

(4) अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या में कमी होने पर, राज्य, उपखंड (2) में विहित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पूर्वीकता प्रवर्ग में व्यक्तियों के कवरेज को उस सीमा तक बढ़ा सकेंगे ।

(5) राज्य सरकार समाज के सभी भेद्य या जरूरतमंद भागों को कवर करने पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्वीकता गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों को राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायिकी प्राप्त खाद्यान्नों के आबंटन के प्रयोजन के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या में तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक इस आदेश के लागू होने के पश्चात् अगली जनगणना से डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता है ।

(7) पात्र गृहस्थियों की सूची नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र की बाबत तैयार की जाएगी ।

(8) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों की अनंतिम सूची को पब्लिक डोमेन जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल भी है, पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों की प्रवर्ग वार सूची दर्शित करते हुए प्रदर्शित करेगी ।

(9) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों की सूची की जांच करने और सत्यापन के लिए भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त द्वारा भारत की जनगणना के दौरान तैयार की गई व्यक्तियों की सूची या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मतदाता सूची या सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डाटा या किसी अन्य प्राधिकृत स्रोत का उपयोग करेगी ।

(10) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए अन्य बातों के साथ प्रारूप सूची तैयार करने की प्रक्रिया, पब्लिक डोमेन में प्रारूप सूची रखना जिसके अंतर्गत ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में समतुल्य निकाय की बैठकों में सूची को पढ़ना, आक्षेप आमंत्रित करना, आक्षेपों, अपीलों और इसी प्रकार का निपटान करना भी है, विहित करेगी ।

(11) स्थानीय प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी संयुक्त रूप से पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची का सत्यापन और प्रमाणन करेंगे तथा स्थानीय प्राधिकारी पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची को अंगीकार करने का संकल्प पारित करेगा ।

(12) पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची को पब्लिक डोमेन जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल है, पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों के नामों को प्रवर्गवार दर्शित करते हुए, प्रदर्शित किया जाएगा ।

(13) राज्य सरकार अपात्र गृहस्थियों का लोप करने या पात्र गृहस्थियों को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए पात्र गृहस्थियों की सूची का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगी ।

(14) पुनर्विलोकन के दौरान राज्य सरकार अन्य बातों के साथ पात्र गृहस्थियों या उनके सदस्यों की संख्या में राज्य में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण वृद्धि और पात्र गृहस्थियों या उनके सदस्यों की संख्या में राज्य से बाहर प्रवास, मृत्यु, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन को गणना में लेगी ।

परंतु पुनर्विलोकन के पश्चात् गृहस्थियों की कुल संख्या उपखंड (2) में विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

4. राशन कार्ड—(1) राज्य सरकार खंड 3 के उपखंड (12) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम सूची में वर्णित पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड जारी करेगी :

परंतु राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड जारी करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र गृहस्थियों की संख्या को केवल पात्र गृहस्थियों की संख्या की राज्यवार अधिकतम सीमा को पूरा करने की दृष्टि से ही पूरा न किया जाए ।

(2) राज्य सरकार केवल भारत के ऐसे नागरिक को ही राशन कार्ड जारी करेगी जो उस राज्य का निवासी है और जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु राज्य सरकार उस राज्य में निवास करने वाली ऐसी गृहस्थी या व्यक्ति को भी राशन कार्ड जारी कर सकेगी जिसे शरणार्थी की प्रास्थिति अनुदत्त की गई है और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मानवीय आधार पर फायदों की हकदारी अनुज्ञात की गई है ।

(3) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित स्कीमों के अधीन या आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट स्कीम के अधीन उपयोग के लिए चाहे कागज आधारित या स्मार्ट कार्ड आधारित, राशन कार्ड जारी किया जाए ।

(4) स्मार्ट कार्ड जारी करने के दौरान राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान में स्मार्ट कार्ड को पढ़ने करने के लिए विक्रय बिन्दु इलैक्ट्रानिकी युक्ति प्रतिष्ठापित की जाए ।

(5) राज्य सरकार अंत्योदय गृहस्थियों और पूर्विकता गृहस्थियों को पृथक् और सुभिन्न राशन कार्ड जारी करेगी ।

(6) राशन कार्ड का उपयोग पहचान या निवास के सबूत के दस्तावेज के रुप में नहीं किया जाएगा ।

(7) राज्य सरकार नए राशन कार्ड और विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए आवेदन का समुचित प्ररुप विहित करेगी ।

(8) निवास में परिवर्तन, जन्म या मृत्यु, फायदाग्राही के प्रवर्ग में परितर्वन, कार्ड में वर्णित ब्यौरों में शुद्धियां या ऐसे किसी अन्य कारण के लेखे उपखंड (7) में निर्दिष्ट कोई उपांतरण ।

(9) उपखंड (7) में निर्दिष्ट प्ररुप में अपेक्षित ब्यौरे, जिसके अंतर्गत आधार संख्या, बैंक खाते के ब्यौरे और मोबाइल टेलीफोन नंबर आदि शामिल हो सकेंगे ।

(10) राज्य सरकार इस खंड के अधीन सभी सूचना राष्ट्रीय आसूचना केंद्र द्वारा तैयार साफ्टवेयर में या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित फील्ड और मानकों के अनुसार प्रतिधारित करेगी ।

(11) राज्य सरकार डिजिटाइज्ड डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना और विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण साफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएं /जिससे डाटा बेस स्वत: अद्यतन हो जाए ।

(12) राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करने के लिए या राशन कार्ड में उपांतरण के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने और प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकारी और कार्यालय को नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(13) राज्य सरकार ऑनलाइन तंत्र, जिसके अंतर्गत ई-सेवा केंद्र, क्योस्कों का उपयोग भी है, के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी विहित कर सकेगी ।

(14) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पात्र आवेदक को आवश्यक जांच और सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करेगा ।

(15) राज्य सरकार विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेगी जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरुपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाए या पूर्णतया समाप्त हो जाए या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए अनुरोध किया जाए ।

(16) राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के ब्यौरे और सेवाओं के परिदान के लिए समय-सीमा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(17) राशन कार्ड धारकों की सूची को स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों के नामों को प्रवर्गवार उपदर्शित करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा ।

(18) राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशन कार्डों का सतत रूप से उन्मूलन करने के लिए सभी प्रयास करेगी ।

(19) राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशन कार्डों का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत से पूर्व एक वार्षिक विशेष अभियान आयोजित करेगी ।

(20) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को त्रैमासिक आधार पर उपाबंध 2 में प्ररुप में विलोप किए गए या रद्द किए गए राशन कार्डों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

5. जारी करने का परिमाण और जारी करने का मूल्य—केंद्रीय सरकार पात्र गृहस्थियों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परिमाण और मूल्यों पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी ।

6. खाद्यान्नों का परिदान—(1) निगम राज्य सरकार से संदाय की रसीद की प्राप्ति के सात दिन के भीतर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में नामनिर्दिष्ट डिपो तक विहित गुणवत्ता निर्दिष्टियों के खाद्यान्नों के वास्तविक परिदान का सुनिश्चय करेगा ।

(2) राज्यों द्वारा विकेन्द्रित उपापन का विकल्प लेने की दशा में, राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए उपाप्त और भंडार किए गए खाद्यान्नों की मात्रा में से केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों द्वारा वितरण के लिए खाद्यान्नों को जारी किया जाएगा और किसी कमी की दशा में निगम खाद्यान्नों की शेष मात्रा को उपखंड (1) में विहित रीति में पदनामित डिपो में उपलब्ध कराएगा ।

(3) राज्य सरकार आबंटन मास के पूर्ववर्ती मास के दौरान निगम को अग्रिम में खाद्यान्नों की लागत जमा करेगी जिससे खाद्यान्नों को खंड 7 के उपखंड (9) में विहित समय के अनुसार उठाया जा सके ।

7. राज्यों द्वारा खाद्यान्नों को उठाना—(1) राज्य सरकार अपने प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निगम के पदनामित डिपो से खाद्यान्नों को उठाएगी ।

(2) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन होने पर निगम से खाद्यान्नों को उठाने के लिए अपने अभिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए आबंटन आदेश जारी करेगी और ऐसे आदेश में अन्य के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा –

(i) कार्डों की संख्या और इकाइयां ;

(ii) हाथ में शेष ; और

(iii) किसी उचित दर दुकान की बाबत प्रत्येक मास में किया गया आबंटन ।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उचित दर दुकान को आबंटन करते समय शेष स्टॉक को, यदि कोई हो, जो उचित दर दुकान के स्वामी के पास अवितरित पड़ा हो, को पश्चातवर्ती आबंटनों में गणना में लेगा ।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित दर दुकान को किए गए आबंटन आदेश की एक प्रति स्थानीय प्राधिकारी, सतर्कता समितियों और उचित दर दुकान के कार्यकरण की मानीटरी के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय को परिदत्त की जाए ।

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मास के दौरान उचित दर दुकान को आबंटित खाद्यान्नों के स्टाक को उपदर्शित करने वाला आदेश राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाए ।

(6) निगम से खाद्यान्नों का परिदान प्राप्त करने से पूर्व राज्य सरकार का खाद्य और नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के रैंक से अन्यून रैंक का कोई अधिकारी तथा निगम का कोई अधिकारी संयुक्त रूप से जारी करने के लिए आशयित खाद्यान्नों के स्टाक का विहित क्वालिटी विनिर्दिष्टियों की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण करेगा ।

(7) संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् निगम गोदाम से खाद्यान्नों के डिस्पैच से पूर्व स्टैकवार सील किया हुआ संयुक्त रूप से आहरित नमूना, राज्य सरकार को उचित दर दुकान पर प्रदर्शन के लिए जारी करेगी और उसकी एक नकल निगम के पास भावी निर्देश के लिए रखी जाएगी :

परंतु राज्य सरकार के प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निगम से खाद्यान्नों का परिदान लेने और उचित दर दुकान डीलरों को उनका परिदान करने से पूर्व किसी मध्यवर्ती गोदाम में भंडारण की दशा में, प्राधिकृत अभिकरण मध्यवर्ती गोदाम में इस उपखंड के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :

परंतु यह और कि जहां राज्यों में खाद्यान्नों का विकेन्द्रीकृत उपापन प्रचालन में है, राज्य सरकार का प्राधिकृत अभिकरण इस उपखंड के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(8) आरहित किए जाने वाले नमूने की मात्रा, नमूनों के प्रतिधारण की अवधि और नमूनों का निपटान केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा ।

(9) राज्य सरकार आबंटन मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक निगम से खाद्यान्नों को उठाने का सुनिश्चय करेगी ।

(10) निगम से खाद्यान्नों को उठाने के लिए समय-सीमा के विस्तार पर केंद्रीय सरकार या निगम द्वारा केवल दुर्लभ और पात्र मामलों में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(11) राज्य सरकार मध्यवर्ती गोदाम से निगम के गोदाम तक परिवहन के लिए और उचित दर दुकान के द्वार तक खाद्यान्नों के परिदान के लिए समुचित तंत्र की विरचना करेगी :

परंतु राज्य सरकार भी निगम के गोदाम से उचित दर दुकान तक सीधे खाद्यान्नों का परिवहन कर सकेगी और उचित दर दुकान के द्वार तक उसके परिदान का सुनिश्चय करेगी ।

(12) राज्य सरकार त्रैमासिक आधार पर उपाबंध 3 के प्ररुप में द्वार तक परिदान की बाबत केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(13) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्नों की पूरी मात्रा और उठाई गई वही क्वालिटी उनके गोदामों तक और उसके उपरांत उचित दर दुकान तक पहुंच रही है, का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच पड़ताल करेगी ।

8. राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का वितरण—(1) केंद्रीय सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार को आबंटित खाद्यान्नों का उपयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

(2) राज्य सरकार उपाबंध 4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।

(3) राज्य सरकार प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से आबंटन मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक और किसी भी दशा में आबंटन मास के प्रथम सप्ताह के अपश्चात् उचित दर दुकान को खाद्यान्नों के भौतिक परिदान का सुनिश्चय करेगी ।

(4) राज्य सरकार, उचित दर दुकान को खाद्यान्नों के आबंटन के परिदान की पुष्टि और आबंटन मास के दौरान पात्र गृहस्थियों को उनके वितरण का मासिक प्रमाणपत्र जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी है, एक मासिक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगी ।

(5) मासिक प्रमाणपत्र उचित दर दुकान के स्वामी और दो या अधिक व्यक्तियों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए और अन्य के साथ जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख, कार्यपालक अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण का सचिव, सतर्कता समितियों के सदस्य, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह द्वारा दिया जाएगा ।

9. उचित दर दुकानों का अनुज्ञप्तिकरण और विनियमन—(1) राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के विक्रय और वितरण का विनियमन करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के अधीन एक आदेश जारी करेगी किंतु जो इस आदेश से असंगत न हो ।

(2) उचित दर दुकान स्वामियों को उक्त आदेश के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को अधिसूचित किया जाएगा और वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उचित दर दुकान स्वामियों को अनुज्ञप्तियां जारी करेंगे ।

(4) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों, जैसे कि पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी सोसाइटियों को उचित दर दुकानों के अनुज्ञप्तिकरण में और उचित दर दुकानों के प्रबंधन में महिलाओं या उनके समूहों को अधिमान दिया जाएगा ।

(5) उचित दर दुकान स्वामियों को अनुज्ञप्ति उचित दर दुकान की सुग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी ।

(6) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उचित दर दुकान से संबद्ध राशन कार्ड धारकों की संख्या युक्तियुक्त हो, उचित दर दुकान इस प्रकार अवस्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्ड धारकों को उचित दर दुकान तक पहुंचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातिय और पहुंच के लिए ऐसे अन्य विकट क्षेत्रों में उचित कवरेज प्रदान किया जाए ।

(7) राज्य सरकार उचित दर दुकान के स्वामी के लिए मार्जिन की रकम नियत करेगी जिसका आवधिक रूप से उचित दर दुकान प्रचालकों की ग्राह्य व्यवहार्यता का सुनिश्चय करने के लिए पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(8) राज्य सरकार उचित दर दुकान के स्वामियों के मार्जिन को बिना किसी विलंब के जारी करने का सुनिश्चय करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी ।

(9) राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित दर दुकान की उचित दर दुकान स्वामियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञात करेगी ।

10. उचित दर दुकानों का प्रचालन—(1) उचित दर दुकान स्वामी राशन कार्ड धारकों को उसकी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का संवितरण करेगा ।

(2) राशन कार्ड धारक खाद्यान्नों की अपनी पात्रता को एक से अधिक किस्तों में आहरित कर सकेगा ।

(3) उचित दर दुकान स्वामी खाद्यान्नों की आपूर्ति के पश्चात् राशन कार्डों को प्रतिधारित नहीं करेगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा उचित दर दुकान स्वामी को जारी अनुज्ञप्ति उचित दर दुकान के स्वामी के कर्तव्यों और दायित्वों को अधिकथित करेगी जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,—

(i) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय ;

(ii) दैनिक आधार पर सहज दृश्य स्थान पर सूचना पट पर (क) खाद्यान्नों की पात्रता, (ख) निर्गम का परिमाण, (ग) खुदरा निर्गम मूल्य, (घ) उचित दर दुकान को खोलने और बंद करने के समय, जिसके अंतर्गत भोजनावकाश, यदि कोई हैं, भी है, (ड.) मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों का स्टाक, (च) खाद्यान्नों का अतिशेष और इतिशेष, (छ) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की क्वालिटी और मात्रा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र सहित प्राधिकारी, (ज) टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, के संबंध में सूचना का प्रदर्शन ;

(iii) राशन कार्ड धारकों के अभिलेखों अर्थात् स्टाक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररुप, जिसके अंतर्गत अनुक्रमिक रीति में इलैक्ट्रानिकी प्ररुप भी है ;

(iv) उचित दर दुकान के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों के नमूनों का प्रदर्शन ;

(v) निरीक्षण अभिकरण को खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करना तथा ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करना, जैसी कि पदनामित प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए ;

(vi) उचित दर दुकान में मास के अंत में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण और शेष स्टाक के लेखों को स्थानीय प्राधिकारी को एक प्रति सहित, राज्य सरकार के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाएगा ;

(vii) विहित समय के अनुसार उचित दर दुकान के खोलने और बंद करने को सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(5) किसी उचित दर दुकान के स्वामी से अभिलेखों का सारांश अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई राशन कार्ड धारक राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा कराने के साथ स्वामी को लिखित आवेदन करेगा । उचित दर दुकान का स्वामी राशन कार्ड धारक को अभिलेखों के ऐसे सारांश आवेदन और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रदान करेगा :

परंतु राज्य सरकार उस अवधि को विहित कर सकेगी जिसके लिए उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा राशन कार्ड धारक को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए अभिलेख रखे जाएंगे ।

(6) राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करेगी जहां उचित दर दुकान का स्वामी उपखंड (5) में निर्दिष्ट रीति में राशनकार्ड धारक को अभिलेखों को प्रदान नहीं करता है और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करेगा कि राशन कार्ड धारक को अभिलेख बिना किसी अनुचित विलंब के उपलब्ध कराएं जाते हैं ।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन की बाबत, जिसके अंतर्गत उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा कारित कोई अनियमितता भी है, त्वरित कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत उचित दर दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति को निरस्त या रद्द करना भी है ।

(8) राज्य सरकार वह अधिकतम कालावधि विहित करेगी जिसमें उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा कारित अनियमितताओं की जांच के संबंध में कार्यवाही, जिसका परिणाम उपखंड (7) के अधीन कोई कार्रवाई है, पूरी की जाएंगी ।

(9) अनुज्ञप्ति को निरस्त या रद्द करने की दशा में, राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्नों की बिना किसी व्यवधान के आपूर्ति का सुनिश्चय करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करेगी :

परंतु उचित दर दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की दशा में नई अनुज्ञप्ति रद्द करने के एक मास के भीतर जारी की जाएगी ।

(10) राज्य सरकार इस खंड के अधीन उचित दर दुकान के स्वामी के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर केंद्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष उपाबंध 5 में प्ररुप में वार्षिक रूप से पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेगी ।

11. मानीटरी—(1) राज्य सरकार उचित दर दुकानों की नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगी । राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए, आदेश जारी करेगी ।

(2) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का स्टाक, जैसा कि निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, को भंडारण, परिवहन या किसी अन्य प्रक्रम पर, जब तक कि राशन कार्ड धारक को उसका परिदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए ।

(3) कोई प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण और हैंडलिंग में लगा हुआ है, राशन कार्ड धारकों को परिदान तक स्टाक को बदलने या उसमें मिलावट करने या उसका कहीं और अपयोजन करने या किसी प्रक्रम पर उसकी चोरी करने में नहीं लगेगा ।

स्पष्टीकरण,-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) **"अपयोजन"** से गोदाम से जारी किए गए खाद्यान्नों का अप्राधिकृत संचालन या परिदान किंतु जो आशयित फायदाग्राही को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नहीं पहुंच रहे हैं, अभिप्रेत है ।

(ii) **"बदलना"** से गोदाम से जारी किए गए खाद्यान्नों को घटिया क्वालिटी की वैसी ही मदों से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आशयित फायदाग्राहियों को वितरण के लिए बदलना अभिप्रेत है ।

(4) राज्य सरकार राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सर्तकता समितियां स्थापित करेगी ।

(5) सर्तकता समितियों की बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा बैठकों की तारीख और अवधि को अधिसूचित किया जाएगा तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष उपाबंध 6 में प्ररुप में सतर्कता समितियों के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी ।

(7) सतर्कता समितियों द्वारा की जाने वाली बैठकों की संख्या को राज्य वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा सतर्कता समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी ।

(8) राज्य सरकार एक आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत टोल फ्री काल सेंटर और राज्य वेब पोर्टल का उपयोग भी है ।

(9) राज्य सरकार शिकायत निवारण अधिकारी के अद्यतन ब्यौरों का व्यापक प्रचार करेगी जैसे कि नाम, टेलीफोन नंबर, जिसके अंतर्गत मोबाइल नंबर है, कार्यालय पता और शिकायत निवारण तंत्र ।

(10) राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ।

(11) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपील राज्य खाद्य आयोग के समक्ष की जाएगी ।

(12) राज्य सरकार, शिकायतों के संबंध में केंद्रीय सरकार को उपाबंध 7 के प्ररुप में त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(13) राज्य सरकार विधि के अधीन उपदर्शित नागरिक चार्टर या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदर्श नागरिक चार्टर के आधार पर जारी और अंगीकार करेगी ।

(14) राज्य सरकार राज्य में उचित दर दुकानों के कार्यकरण के संबंध में विभिन्न स्तरों पर आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मंच भी है ।

(15) राज्य सरकार इलैक्ट्रानिक मंच के माध्यम से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मानीटरी सुनिश्चित करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए "एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन" में फायदाग्राही, राशन कार्डों और अन्य डाटा बेसों का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण; पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित दर दुकान के स्वचालन से संबंधित कार्यकलाप शामिल है ।

(16) राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे मे इलैक्ट्रानिकी और प्रिंट माध्यमों के साथ उचित दर दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्डों के माध्यम से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी ।

12. पारदर्शिता और जवाबदेही – (1) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्षों को प्रचारित करवाएगा तथा अपेक्षित कार्रवाई करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो ऐसे स्वतंत्र अभिकरणों, जिनके पास सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करने का अनुभव है, के माध्यम से ऐसी परीक्षा करवा सकेगी या करवाना कारित करेगी ।

13. शास्ति—यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंड का दायी होगा ।

14. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति – (1) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों की जांच या मांग कर सकेगा, जो उसके द्वारा जांच करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और वह उसके समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों या दस्तावेजों से उद्धरण या प्रतियां ले सकेगा ।

(2) यदि उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के पास किसी परिवाद के प्राप्त करने पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है या इस आदेश की अनुपालना करने की दृष्टि से वह उचित दर दुकान या किन्हीं परिसरों, जो उचित दर दुकान के कारबार के संव्यवहार से सुसंगत है, में प्रविष्ट हो सकेगा, उनकी जांच या तलाशी कर सकेगा ।

(3) उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी खाद्यान्नों के लेखाओं या स्टाक की ऐसी लेखा बहियों की तलाशी, अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा, जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इनका उपयोग इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा है या किया जाएगा ।

(4) उपखंड (3) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने वाला उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, की गई तलाशी और उस खंड के अधीन उसके द्वारा अभिग्रहण किए गए खाद्यान्नों के स्टाक के ब्यौरों से सूचित करेगा।

(5) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंध इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

15. अपील—(1) राज्य सरकार इस आदेश के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून उस सरकार के किसी अधिकारी की अपील अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगी :

परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपील को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे निपटाया जाएगा मानो कि यह आदेश नहीं किया गया था ।

(2) किसी राशन कार्ड को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने या राशनकार्ड को रद्द करने के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा ।

(3) उचित दर दुकान स्वामी की अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति रद्द करने के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा तथा अपील प्राधिकारी, जहां तक व्यवहार्य है, साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा :

परंतु अपील अधिकारी द्वारा एक बार अपील का निपटान किए जाने पर खंड 10 के उपखंड (9) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित दर दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने का समय अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विनिश्चय की तारीख से प्रारंभ होगा ।

(4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

(5) अपील प्राधिकारी, किसी अपील के निपटान के लंबन के दौरान यह निदेश दे सकेगा कि अपील के अधीन आदेश उस अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा, जो प्राधिकारी उपखंड (4) के अधीन अन्य पक्षकार को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे या जब तक कि अपील का निपटारा न हो जाए, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो ।

16. इस आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी चीज के लिए, जो इस आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

17. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबंधों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

[फा. सं. 9(4)/2012-पीडी.2]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

उपाबंध–I

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवरेज (खंड 3 देखें)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य	जनसंख्या (जनगणना 2011)	कवरेज					अंत्योदय अन्न योजना (कुटुम्बों की संख्या)*
			जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में		कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या			
			ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	योग	
1	2	3	4(i)	4(ii)	5(i)	5(ii)	5(iii)	6
1	आंध्र प्रदेश	84,665,533	60.96	41.14	34,327,666	11,664,731	45,992,397	1,557,800
2	अरुणाचल प्रदेश	1,382,611	66.31	51.55	708,963	161,581	870,545	38,000
3	असम	31,169,272	84.17	60.35	22,541,160	2,648,614	25,189,775	704,000
4	बिहार	103,804,637	85.12	74.53	78,374,264	8,742,078	87,116,341	2,501,000
5	छत्तीसगढ़	25,540,196	84.25	59.98	16,516,082	3,560,735	20,076,817	718,900
6	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र)	16,753,235	37.69	43.59	158,041	7,119,954	7,277,995	156,800
7	गोवा	1,457,723	42.24	33.02	232,917	299,263	532,181	18,400
8	गुजरात	60,383,628	74.64	48.25	25,878,298	12,406,431	38,284,729	812,800
9	हरियाणा	25,353,081	54.61	41.05	9,027,848	3,621,262	12,649,110	302,500
10	हिमाचल प्रदेश	6,856,509	56.23	30.99	3,468,157	213,429	3,681,586	197,100
11	जम्मू और कश्मीर	12,548,926	63.55	47.10	5,805,178	1,608,044	7,413,222	282,200
12	झारखंड	32,966,238	86.48	60.20	21,651,951	4,773,434	26,425,385	917,900
13	कर्नाटक	61,130,704	76.04	49.36	28,554,943	11,638,187	40,193,130	1,199,700
14	केरल	33,387,677	52.63	39.50	9,186,833	6,293,208	15,480,040	595,800
15	मध्य प्रदेश	72,597,565	80.10	62.61	42,082,857	12,559,357	54,642,214	1,581,600

16	महाराष्ट्र	112,372,972	76.32	45.34	46,971,481	23,045,203	70,016,683	2,505,300
17	मणिपुर	2,855,794	88.56	85.75	1,790,364	715,287	2,505,651	63,600
18	मेघालय	2,964,007	77.79	50.87	1,842,823	302,695	2,145,517	70,200
19	मिजोरम	1,091,014	81.88	48.60	433,175	273,121	706,296	26,100
20	नगालैंड	1,980,602	79.83	61.98	1,123,097	355,605	1,478,702	47,500
21	ओडिशा	41,947,358	82.17	55.77	28,719,429	3,901,738	32,621,167	1,264,500
22	पंजाब	27,704,236	54.79	44.83	9,487,875	4,656,688	14,144,562	179,400
23	राजस्थान	68,621,012	69.09	53.00	35,609,149	9,052,811	44,661,960	932,100
24	सिक्किम	607,688	75.74	40.36	345,346	61,237	406,582	16,500
25	तमिलनाडु	72,138,958	62.55	37.79	23,261,863	13,207,503	36,469,365	1,864,600
26	त्रिपुरा	3,671,032	74.75	49.54	2,025,763	476,070	2,501,833	113,100
27	उत्तर प्रदेश	199,581,477	79.56	64.43	123,406,329	28,652,314	152,058,643	4,094,500
28	उत्तराखंड	10,116,752	65.26	52.05	4,584,895	1,608,953	6,193,849	190,900
29	पश्चिम बंगाल	91,347,736	74.47	47.55	46,330,525	13,853,246	60,183,770	1,985,700
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	379,944	24.94	1.70	60,956	2,304	63,260	10,700
31	चंडीगढ	1,054,686	38.54	47.26	11,178	484,737	495,915	8,800
32	दादरा और नगर हवेली	342,853	84.19	51.54	154,088	82,376	236,464	6,900
33	दमन और दीव	242,911	26.66	56.47	16,084	103,103	119,187	1,500
34	लक्षद्वीप	64,429	35.30	33.56	4,985	16,883	21,868	1,200
35	पुडुचेरी	1,244,464	59.68	46.94	235,343	399,048	634,390	32,200
योग		**1,210,327,463**	**75**	**50**	**624,929,906**	**188,561,229**	**813,491,135**	**24,999,800**

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्यां के भीतर जैसा कि स्तम्भ 5(iii) में उपदर्शित है ।

उपाबंध 2

अपात्र या बोगस राशन कार्डों के विलोप और पात्र गृहस्थियों को शामिल करने का जून /सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण – [खंड 4 का उपखंड (20) देखें]

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित करने वाले राज्य

गृहस्थी/ फायदाग्राही प्रवर्ग	तिमाही के आरंभ में विद्यमान राशन कार्डों की संख्या	जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही		सितंबर को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही		दिसंबर को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही		मार्च को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही		तिमाही/वर्ष के अंत में राशन कार्डों की संख्या
		विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए नए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
पूर्विकता										
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) गृहस्थियां										

अन्य (विनिर्दिष्ट करें अर्थात् वे जो टाइड ओवर आबंटन द्वारा कवर होते हैं)										
योग										

II. वे राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अभी कार्यान्वित करना है

गृहस्थी / फायदाग्राही प्रवर्ग	तिमाही के आरंभ में विद्यमान राशन कार्डों की संख्या	जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही		सितंबर को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही		दिसंबर को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही		मार्च को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही		तिमाही/वर्ष के अंत में राशन कार्डों की संख्या
		विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए नए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	विलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) गृहस्थियां										
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)										
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)										
योग										

टिप्पण– प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध 3

उचित दर दुकानों के द्वार तक जून /सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के अंत में परिदान का विवरण –

[खंड 7 का उपखंड (12) देखें]

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जिलों की कुल संख्या :

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उ.द.दु. की कुल संख्या :

क्रम सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण का प्रकार*	अभिकरणों द्वारा द्वार तक परिदान के लिए कवर किए गए जिलों की संख्या	अभिकरणों द्वारा द्वार तक परिदान के अधीन कवर की गई उ.द.दु. की संख्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
योग				

* अभिकरण की किस्म के संबंध में कृपया उपदर्शित करे कि क्या राज्य नागरिक आपूर्ति या अन्य शीर्ष निकाय, सहकारी सोसाइटियां, निजी अभिकरण अर्थात् थोक विक्रेता, लैम्पस, पीएसीएस आदि या अन्य कोई अभिकरण हैं । किसी राज्य में द्वार से द्वार तक एक से अधिक अभिकरण द्वारा परिदान किए जाने की दशा में उसे भी उपदर्शित किया जाएगा ।

टिप्पण–प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध 4

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से आंबंटित प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए खाद्यान्नों के वितरण का उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र)) प्रस्तुत करने का प्ररुप [खंड 8 का उपखंड (2) देखें]

वर्ष के लिए उपयोग प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (वर्ष) के दौरान भारत सरकार द्वारा टीपीडीएस/अतिरिक्त आंबटन के अधीन (मात्रा) टन खाद्यान्न आबंटित किया गया और उन्हें नीचे दिए अनुसार फायदाग्राहियों को वितरित किया गया था , अर्थात् :--

(टनों में)

वस्तु	भारत सरकार द्वारा किया गया आबंटन	राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा	आबंटित मात्रा में से न उठाई गई मात्रा (स्तंभ 2 – स्तंभ 3)	वितरित मात्रा	उठाई गई मात्रा में से शेष मात्रा (स्तंभ 3 – स्तंभ 5)	न उठाई गई/ अवितरित मात्रा, यदि कोई हो, का कारण
1	2	3	4	5	6	7
चावल						
गेहूं						
मोटे अनाज						
योग						

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के

सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

तारीख
स्थान

टिप्पण –सूचना अगले वित्त वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरी और की गई कार्रवाई का वार्षिक विवरण (31 मार्च, 20... की स्थिति के अनुसार) [खंड 10 का उपखंड (10) देखें]

(क)

संचालित किए गए निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	उ.द.दु. अनुज्ञप्तियों की संख्या				दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणियां
		निलंबित किए गए	प्रत्यावर्तित किए गए	रद्द किए गए	विनिश्चय के लिए लंबित			

(ख)

I. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उचित दर दुकानों की कुल संख्या :.....

II. वित्त वर्ष के दौरान निलंबित की गई अनुज्ञप्तियों के उचित दर दुकान के स्वामियों की कुल संख्या

III. ऊपर II में से उचित दर दुकान के स्वामियों की संख्या, जिनकी अनुज्ञप्तियों को छह मास से अधिक अवधि के लिए निलंबित किया गया था :—

(ग)

उचित दर दुकान के स्वामियों की संख्या, जिनकी अनुज्ञप्तियों को छह मास से अधिक अवधि के लिए निलंबित किया गया था			
निलंबित की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या	पुन: प्रत्यावर्तित की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या	रद्द की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या	विनिश्चय के लिए लंबित

टिप्पण—सूचना अगले वित्त वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध 6

सतर्कता समितियों (वीसी) के कार्यकरण का वार्षिक विवरण (31 मार्च, 20... की स्थिति के अनुसार) [खंड 11 का उपखंड (6) देखें]

1. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जिलों की कुल संख्या :
2. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में तहसीलों की कुल संख्या :
3. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में खंडों की कुल संख्या :
4. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उचित दर दुकानों की कुल संख्या :

	स्थापित की गई सतर्कता समितियों (वीसी) की कुल संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा विहित वीसी की बैठकों की अवधि (अर्थात् मासिक / द्विमासिक / त्रैमासिक)	वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर			
तहसील स्तर			
जिला स्तर			
खंड स्तर			
उ.द.दु. स्तर			
योग			

टिप्पण –सूचना अगले वित्त वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध 7

शिकायतों से निपटने का विवरण (जून /सितंबर/दिसंबर/मार्च की तिमाही के लिए) [खंड 11 का उपखंड (12) देखें]

क. टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर :
ख. शिकायतों के रजिस्ट्रीकरण और निपटान के लिए राज्य पोर्टल का वेब पता :

I. शिकायत रजिस्ट्रीकरण और निपटान का विवरण

अवस्थिति/स्रोत	शिकायतों की संख्या का अंतशेष	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	तिमाही के अंत में शिकायतों की संख्या का इतिशेष
1	2	3	4	5
काल सेंटर				
राज्य पोर्टल				
जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ)				
कोई अन्य स्रोत				
योग				

टिप्पण – प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 20th March, 2015

G.S.R. 213(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and securing availability and distribution of essential commodity, namely, foodgrains under the Targeted Public Distribution System;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Public Distribution System (Control) Order, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and save as otherwise provided hereunder, the Central Government hereby makes the following Order, namely: -

1. Short title, and commencement.—(1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette:

Provided that provisions of the Public Distribution System (Control) Order, 2001 shall continue to have effect as against the corresponding provisions of this Order in any State which has not implemented the Food Security Act or is implementing the said Act only in part.

2. Definitions.—In this Order -

(a) **"Act"** means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(b) **"allocation month"** means the month for which foodgrains are allocated by Central Government and the State Governments for distribution under the Targeted Public Distribution System;

(c) **"Annex"** means an Annex appended to this Order;

(d) **"Appellate Authority"** means an authority appointed as such by the State Government under sub-clause (1) of clause 15 of this Order;

(e) **"Antyodaya Anna Yojana"** means the scheme by the said name launched by the Central Government on the 25th day of December, 2000 and as modified from time to time;

(f) **"Antyodaya households"** means those households identified by the State Government to receive foodgrains under the Antyodaya Anna Yojana;

(g) **"authorised agency"** means the concerned Department of State Government or a body corporate or a company owned by it or a co-operative;

(h) **"Corporation"** means the Food Corporation of India constituted under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964);

(i) **"designated authority"** means any officer not below the rank of Food and Civil Supplies Inspector in the State Government;

(j) **"fair price shop owner"** means a person and includes a cooperative society or a body corporate or a company of a State Government or a Gram Panchayat or any other body in whose name a shop has been licensed to distribute essential commodities under the Targeted Public Distribution System;

(k) **"Food Security Act"** means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(l) **"local authority"** includes a panchayat, municipality, district board, cantonment board, town planning authority and in the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura where panchayats do not exist, the village council or committee or any other body, by whatever name called, which is authorised under the Constitution or any other law for the time being in force for self-governance or any other authority or body vested with the control and management of civic services, within a specified local area;

(m) **"Social audit"** means the process in which people collectively monitor and evaluate the planning and implementation of Targeted Public Distribution System;

(n) **"State"** includes a Union Territory;

(o) "**State Government"** includes a Union Territory/Administration;

(p) "**Vigilance Committee**" means a committee constituted to regularly supervise the functioning of Targeted Public Distribution System in the State;

(q) words and expressions not defined in this Order but defined in the Act, or the Food Security Act, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. Identification of eligible households.—(1) The State-wise percentage coverage of eligible households under the Food Security Act in rural and urban areas respectively for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System shall be as in column 4 of Annex-I.

(2) The State-wise ceiling on coverage of number of persons belonging to eligible households for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System, indicated in column 5 of Annex-I, shall be under the following two categories—

(i) existing Antyodaya households;
(ii) remaining to be covered under priority households category to be identified by State Government as per criteria to be evolved by them subject to the other provisions of this Order.

(3) The State-wise number of Antyodaya households shall not exceed the accepted number of Antyodaya households in that State, as specified in column 6 of Annex-I:

Provided that when an Antyodaya household becomes ineligible on account of migration outside the State, improvement in social or economic status, death, etc., no new Antyodaya household shall be identified in that State and the total number of Antyodaya households shall be reduced to that extent.

(4) Upon a reduction in the number of Antyodaya households, the States may increase the coverage of the persons to that extent in the priority category, subject to the ceilings prescribed in sub-clause (2).

(5) The State Government shall prepare and notify the guidelines for identification of priority households in the rural and urban areas, with special focus on coverage of all the vulnerable or needy sections of the society, and display the guidelines in the public domain including on the State web portal.

(6) For the purpose of allocation of subsidised foodgrains under Targeted Public Distribution System by the Central Government, there shall be no increase in the State-wise number of persons covered under Targeted Public Distribution System till the data from the next population Census, after the commencement of this Order, becomes available.

(7) The list of eligible households shall be drawn up by the designated authority in respect of area under their jurisdiction.

(8) The State Government shall get the provisional list of eligible households displayed in the public domain including the office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise lists of eligible households and their members.

(9) The State Government shall use the list of persons as compiled during Census of India by the Registrar General and Census Commissioner or voters list notified by Election Commission of India or Socio Economic and Caste Census data or any other authentic source of data to cross-check and verify the list of eligible households and their members.

(10) The State Government shall prescribe the detailed procedure for finalisation of the list of eligible households covering, *inter-alia*, aspects like the process of drawing up of draft list, putting the draft list in the public domain including reading out of the list in meetings of the Gram Sabha or equivalent body in urban areas, inviting objections, disposal of objections, appeals and so on.

(11) The head of the local authority and the designated authority shall jointly verify and certify the final list of eligible households and the local authority shall pass a resolution adopting the final list of the eligible households.

(12) The final list of the eligible households shall be displayed in the public domain including office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise names of eligible households and their members.

(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households.

(14) During the review, the State Government shall take into account, *inter-alia,* the increase in the number of eligible households or their members due to migration in to the State, birth, marriage, change in social and economic status and the decrease in the number of eligible households or their members due to migration outside the State, death, marriage, change in social or economic status:

Provided that the total number of eligible households after the review shall not exceed the ceilings prescribed in sub-clause (2).

4. Ration Cards.—(1) The State Government shall issue ration cards to the eligible households as mentioned in the final list specified under sub-clause (12) of clause 3:

Provided that while issuing ration cards to the eligible households, the State Government shall ensure that the coverage of the number of eligible households is not merely done with a view to exhaust the State-wise ceiling of number of eligible households.

(2) The State Government shall issue a ration card only to a citizen of India who is resident of that State and who fulfills the conditions for getting a ration card as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may also issue a ration card to a household or a person residing in that State by virtue of the household or person being granted the status of a refugee and is allowed the entitlement of benefits on humanitarian grounds by the Central Government.

(3) The State Government shall ensure that a ration card, whether paper based or a smart card, is issued for use under the Targeted Public Distribution System or schemes mentioned in the Food Security Act or a specific scheme of the State Government for distribution of essential commodities.

(4) While issuing a smart card, the State Government shall ensure that a point of sale electronic device for reading the smart card is installed at the fair price shop.

(5) The State Government shall issue separate and distinct ration cards to the Antyodaya households and the priority households.

(6) Ration card shall not be used as a document of identity or proof of residence.

(7) The State Government shall prescribe a suitable form of application for new ration card and modification in the existing ration card.

(8) Any modification referred to in sub-clause (7) may be on account of shifting of residence, birth or death, change in category of beneficiary, corrections in the details mentioned in the card or any other such reason.

(9) The form referred to in sub-clause (7) may include requisite details including Aadhaar number, bank account details, and mobile telephone number.

(10) The State Government shall retain all the information under this clause in the software prepared by National Informatics Centre or as per the fields and standards prescribed by the Central Government.

(11) The State Government shall maintain the ration card data in the digitised database and ensure that issue of a new ration card and modification in the existing ration card is undertaken through the software programme so that the database is automatically updated.

(12) The State Government shall designate the authority and office for receiving, registering, acknowledging and processing of application for issuance of ration card or modification in the ration card.

(13) The State Government may also prescribe the procedure for receiving the application through online mechanism including the use of e-service centres, kiosks.

(14) The designated authority shall issue a ration card to an eligible applicant within a reasonable time not exceeding one month of the date of receipt of the application after necessary checks and verification.

(15) The State Government shall issue a ration card in replacement of existing ration card only when the existing ration card is lost or becomes unfit for use on account of being damaged or mutilated or is exhausted fully or where there are requests for modification in the ration cards.

(16) The details of the services relating to the ration cards and timeframe for delivery of services shall be notified by the State Government and displayed in the public domain including on the State web portal.

(17) The list of the ration card holders shall be displayed in the public domain including in the office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise names of the eligible households and their members.

(18) The State Government shall make all endeavours to eliminate bogus or ineligible ration cards as a continuous exercise.

(19) The State Government shall organise an annual special drive before the end of every financial year for the elimination of bogus or ineligible ration cards.

(20) The State Government shall submit a report of ration cards deleted or cancelled on quarterly basis to the Central Government in the format at Annex-II.

5. Scale of issue and issue price.—The Central Government shall make available foodgrains from the Central Pool to the State Governments for distribution under the Targeted Public Distribution System to eligible households at such scales and prices as specified under Food Security Act.

6. Delivery of foodgrains.—(1) The Corporation shall ensure physical delivery of foodgrains of prescribed quality specifications upto designated depots in each State for distribution under the Targeted Public Distribution System, as per the allocation made by the Central Government, within seven working days of the receipt of payment from the State Government.

(2) In case of States opting for decentralised procurement, the foodgrains for distribution under Targeted Public Distribution System shall be released by the States as per the allocation made by the Central Government out of the quantity of foodgrains procured and stored for the Central Pool by the State Government or its agencies and in case of any shortfall, the Corporation shall provide the balance quantity of foodgrains at the designated depots in the manner as prescribed in sub-clause (1).

(3) The State Government shall deposit the cost of foodgrains to the Corporation in advance during the month preceding the allocation month so that the foodgrains are lifted from the Corporation as per the time prescribed in sub-clause (9) of clause 7.

7. Lifting of foodgrains by States.—(1) The State Government shall lift foodgrains from the designated depots of the Corporation through its authorised agency.

(2) The State Government shall, on getting allocation of foodgrains from the Central Government, issue allocation orders authorising their agencies to lift foodgrains from the Corporation and such order among others shall specify-

(i) number of cards and units;
(ii) balance in hand; and
(iii) allocation made for each month in respect of a fair price shop.

(3) While making allocation to the fair price shop, the designated authority shall take into account the balance stock, if any, lying undistributed with the fair price shop owner for the subsequent allocations.

(4) The designated authority shall ensure that one copy of the allocation order made to the fair price shop is delivered to the local authority, vigilance committees, and any other body nominated by the State Government for monitoring the functioning of the fair price shop.

(5) The State Government shall ensure that the allocation order depicting the stocks of foodgrains allotted during the month to the fair price shops is displayed on the public domain including on the State web portal.

(6) Before taking delivery of foodgrains from the Corporation, an officer of the State Government not below the rank of Food and Civil Supplies Inspector and an officer of the Corporation shall jointly inspect the stocks of foodgrains intended for issue to ensure that the stocks conform to the prescribed quality specifications.

(7) After the joint inspection, the Corporation shall issue to the State Government, before dispatch of foodgrains from godown, one stack-wise sealed sample jointly drawn for display at the fair price shop and a duplicate sealed sample drawn shall be kept with the Corporation for future reference:

Provided that in case the authorised agency of the State Government takes delivery of foodgrains from the Corporation and stores the foodgrains in an intermediate godown before delivering them to the fair price shop dealers, the authorised agency shall follow the procedure under this sub-clause at that intermediate godown:

Provided further that where decentralised procurement of foodgrains is in operation in the States, the authorised agency of the State Government shall follow the procedure under this sub-clause.

(8) The quantity of the samples to be drawn, retention period of the samples and disposal of the samples shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

(9) The State Government shall ensure the lifting of foodgrains from the Corporation by the last day of the month preceding the allocation month.

(10) The extension of time for lifting of foodgrains from the Corporation may be considered by the Central Government or the Corporation only in very rare and deserving cases as per the instructions issued by the Central Government.

(11) The State Government shall devise suitable mechanism for transportation of foodgrains from the Corporation godown to the intermediate godown and the door-step delivery of the foodgrains to the fair price shop:

Provided that the State Government may also transport foodgrains directly to the fair price shop from the Corporation godown and ensure its door-step delivery to the fair price shop.

(12) The State Government shall furnish a report on quarterly basis to the Central Government regarding door-step delivery in the format at Annex-III.

(13) The State Government shall exercise necessary checks to ensure that full quantity and the same quality of foodgrains as lifted by them reaches their godowns and in turn at the fair price shop.

8. Distribution of foodgrains by States.—(1) The allocation of foodgrains made by the Central Government under the Targeted Public Distribution System to the State Government shall be used for distribution as per the provisions of the Food Security Act and not for any other purpose.

(2) The State Government shall furnish a utilisation certificate every year in the format as at Annex-IV.

(3) The State Government shall ensure, through the authorised agency, physical delivery of foodgrains to the fair price shop by end of the month preceding the allocation month and in any case not later than the first week of the allocation month.

(4) The State Government shall obtain a monthly certificate, including through electronic platform, confirming delivery of allocated foodgrains to the fair price shop and their distribution to eligible households during the allocation month.

(5) The monthly certificate shall be given by the fair price shop owner and two or more persons as may be authorised by the State Government such as head of the local authority, Executive Officer, Secretary of the local authority, members from the vigilance committees, women's self help group among others.

9. Licensing and regulation of fair price shops.—(1) The State Government shall issue an order under section 3 of the Act, but not inconsistent with this Order, for regulating the sale and distribution of the essential commodities.

(2) The licences to the fair price shop owners shall be issued under the said order and the order issued by the State Government shall be notified and displayed on web portal.

(3) The designated authority appointed by the State Government shall issue the licences to the fair price shop owners.

(4) The State Government shall accord preference to public institutions or public bodies such as panchayats, self help groups, cooperative societies in licensing of fair price shops and management of fair price shops by women or their collectives.

(5) The licences to the fair price shop owners shall be issued keeping in view the viability of the fair price shop.

(6) The State Government shall ensure that the number of ration card holders attached to a fair price shop are reasonable, the fair price shop is so located that the consumer or ration card holder does not have to face difficulty to reach the fair price shop and that proper coverage is ensured in hilly, desert, tribal and such other areas difficult to access.

(7) The State Government shall fix an amount as the fair price shop owner's margin, which shall be periodically reviewed for ensuring sustained viability of the fair price shop operations.

(8) The State Government shall put in place a mechanism to ensure the release of fair price shop owner's margin without any delay.

(9) The State Government shall allow sale of commodities other than the foodgrains distributed under the Targeted Public Distribution System at the fair price shop to improve the viability of the fair price shop operations.

10. Operation of fair price shops.—(1) The fair price shop owner shall disburse foodgrains to the ration card holder as per his entitlement under the Targeted Public Distribution System.

(2) The ration card holder may draw his full entitlement of foodgrains in more than one installment.

(3) The fair price shop owner shall not retain the ration cards after the supply of the foodgrains.

(4) The licence issued by the State Government to the fair price shop owner shall lay down the duties and responsibilities of the fair price shop owner, which shall include, *inter alia*,-

(i) sale of foodgrains as per the entitlement of ration card holders under the Targeted Public Distribution System at the prescribed retail issue price;

(ii) display of information on a notice board at a prominent place in the shop on daily basis regarding (a) entitlement of foodgrains, (b) scale of issue, (c) retail issue prices, (d) timings of opening and closing of the fair price shop including lunch break, if any, (e) stock of foodgrains received during the month, (f) opening and closing stock of foodgrains, (g) the mechanism including authority for redressal of grievances with respect to quality and quantity of foodgrains under the Targeted Public Distribution System and (h) toll-free helpline number;

(iii) maintenance of the records of ration card holders, e.g. stock register, issue or sale register shall be in the form prescribed by the State Government including in the electronic format in a progressive manner;

(iv) display of samples of foodgrains being supplied through the fair price shop;

(v) production of books and records relating to the allotment and distribution of foodgrains to the inspecting agency and furnishing of such information as may be called for by the designated authority;

(vi) accounts of the actual distribution of foodgrains and the balance stock at the end of the month, at the fair price shop, shall be sent to the designated authority of the State Government with a copy to the local authority;

(vii) opening and closing of the fair price shop as per the prescribed timings displayed on the notice board.

(5) Any ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop owner may make a written request to the owner along with the deposit of the fees specified by the State Government. The fair price shop owner shall provide such extracts of records to the ration card holder within fourteen days from the date of receipt of a request and the fee specified by the State Government:

Provided that the State Government may prescribe the period for which the records are to be kept for providing it to the ration card holder by the fair price shop owner.

(6) The State Government shall prescribe the procedure to be followed by the designated authority in cases where the fair price shop owner does not provide the records in the manner referred in sub-clause (5) to the ration card holder in the stipulated period and the designated authority in each case shall ensure that the records are provided to the ration card holder without any undue delay.

(7) The designated authority shall take prompt action in respect of violation of any condition of licence including any irregularity committed by the fair price shop owner, which may include suspension or cancellation of the fair price shop owner's licence.

(8) The State Government shall prescribe the maximum period within which proceedings relating to enquiry into irregularities committed by the fair price shop owner shall be concluded, resulting in any action as under sub-clause (7).

(9) In case of suspension or cancellation of the licence, the State Government shall make alternative arrangements for ensuring uninterrupted supply of foodgrains to the eligible households:

Provided that in case of cancellation of the licence of the fair price shop owner, new licence shall be issued within a month of cancellation.

(10) The State Government shall furnish complete information on action taken against a fair price shop owner under this clause annually to the Central Government in the format at Annex-V.

11. Monitoring.—(1) The State Government shall ensure regular inspections of fair price shops not less than once in three months by the designated authority. The State Government shall issue orders specifying the inspection schedule, list of check points and the authority responsible for ensuring compliance with the said orders.

(2) The State Government shall ensure that stocks of foodgrains under the Targeted Public Distribution System, as issued from the Corporation godowns, are not replaced or tampered with during storage, transit or any other stage till delivery to the ration card holder.

(3) Any authority or any person authorised by it in this behalf or any other person, who is engaged in the distribution and handling of foodgrains under the Targeted Public Distribution System, shall not indulge in substitution or adulteration or diversion or theft of stocks at any stage till delivery to the ration card holder.

Explanation.—For the purpose of this clause,-

(i) "**diversion**" means unauthorised movement or delivery of foodgrains released from godowns but not reaching the intended beneficiaries under the Targeted Public Distribution System.

(ii) "**substitution**" means replacement of foodgrains released from godowns with the same articles of inferior quality for distribution to the intended beneficiaries under the Targeted Public Distribution System.

(4) The State Government shall set up vigilance committees for the Targeted Public Distribution System at the State, District, Block and fair price shop levels as per the provisions of the Food Security Act to perform functions as specified in the said Act.

(5) Meetings of the vigilance committees shall be held at least once every quarter at all levels and the date and periodicity of the meeting shall be notified by the State Governments and given wide publicity.

(6) The State Government shall send a report annually to the Central Government on the functioning of vigilance committees in the format at Annex-VI.

(7) The number of meetings held by the vigilance committees shall be displayed on the State web portal and the action taken on issues discussed in meetings of vigilance committees shall be reviewed in the next meeting.

(8) The State Government shall notify an internal grievance redressal mechanism which shall include toll free call centres and use of State web portal.
(9) The State Government shall give wide publicity to the up-to-date details of the Grievance Redressal Officer such as name, telephone number including mobile number, office address and the grievance redressal mechanism.
(10) The State Government shall appoint District Grievance Redressal Officers as per the provisions of the Food Security Act for expeditious and effective redressal of grievances of the aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled foodgrains under Targeted Public Distribution System.
(11) An appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer shall be preferred before the State Food Commission constituted under section 16 of the Food Security Act.
(12) The State Government shall furnish a report on quarterly basis to the Central Government regarding the handling of grievances in the format at Annex-VII.
(13) The State Government shall issue and adopt a Citizen's Charter as stipulated under law or based on the model Citizen's Charter issued by the Central Government.
(14) The State Government shall prescribe a system of periodic reporting, including through electronic platform, at various levels within the State regarding the functioning of fair price shops.
(15) The State Government shall ensure monitoring of the end-to–end operations of the Targeted Public Distribution System through the electronic platform.
Explanation.—For the purpose of this sub-clause "end-to–end operations" shall include activities relating to digitisation of beneficiary, ration cards, and other databases; computerisation of supply-chain management; setting up of transparency portal, grievance redressal mechanism and fair price shop automation.
(16) The State Government shall take necessary steps to educate the ration card holders regarding their rights and privileges by the use of electronic and print media as well as display boards outside the fair price shops.

12. Transparency and accountability.–(1) All Targeted Public Distribution System related records shall be placed in the public domain and kept open for inspection to the public in the manner as may be prescribed by the State Government.
(2) Every local authority, or any other authority or body, as may be authorised by the State Government, shall conduct or cause to be conducted, periodic social audits on the functioning of Targeted Public Distribution System, and cause to publicise its findings and take necessary action, in such manner as may be prescribed by the State Government.
(3) The Central Government may, if it considers necessary, conduct or cause to be conducted social audit through independent agencies having experience in conduct of such audits.

13. Penalty.—If any person contravenes any of the provisions of this Order he shall be liable to punishment under section 7 of the Act.

14. Power of search and seizure.—(1) An officer authorised by the State Government, shall be competent to inspect or summon such records or documents as may be considered by him necessary for examination and take extracts or copies of any records or documents produced before him.
(2) If the officer referred to in sub-clause (1) has reasons to believe on receipt of a complaint or otherwise that there has been any contravention of the provisions of this Order or with a view to securing compliance with this Order, he may enter, inspect or search the fair price shop or any premises relevant to transactions of business of the fair price shop.
(3) The officer referred to in sub-clause (1) may also search, seize or remove such books of accounts or stocks of foodgrains where such authority has reason to believe that these have been used or will be used in contravention of the provisions of this Order.
(4) The officer referred to in sub-clause (1) conducting search and seizure under sub-clause (3) shall inform the State Government or any other officer authorised by it in this behalf, the details of the search conducted and the stocks of foodgrains so seized by them under that clause.
(5) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973, relating to search and seizure shall so far as may be, apply to search and seizure under this Order.

15. Appeal.—(1) The State Governments shall appoint an officer of that Government not below the rank of Additional District Magistrate of a District as an Appellate Authority for exercising the powers conferred upon and discharging the functions assigned to him under this Order.

Provided that an appeal pending before an Appellate Authority appointed under the Public Distribution System (Control) Order, 2001 shall be disposed of by such authority as if this Order had not been made.

(2) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order.

(3) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of the licence to the fair price shop owner, or cancellation of the licence may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order and the Appellate Authority shall, as far as practicable, dispose the appeal within a period of sixty days:

Provided that once an appeal has been disposed of by the Appellate Authority, the time for issue or renewal of the licence of the fair price shop owner by the designated authority referred in sub-clause (9) of clause 10 shall begin from the date of decision of the Appellate Authority on the appeal.

(4) No appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) Pending the disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (4) or until the appeal is disposed of, whichever is earlier.

16. Protection of action taken under order.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Order.

17. Power of Central Government to give directions.—The Central Government may give such directions as it may deem necessary to the State Government for execution of all or any of the provisions of this Order.

[F. No. 9(4)/2012-PD.II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Annex - I

Coverage under the Targeted Public Distribution System under section 3(2) of the National Food Security Act, 2013 (see clause 3)

S. No.	State / UT	Population (Census 2011)	Coverage					Antyodaya Anna Yojana (Number of families)*
			as percentage of population		Number of persons to be covered			
			Rural	Urban	Rural	Urban	Total	
1	2	3	4(i)	4(ii)	5(i)	5(ii)	5(iii)	6
1	Andhra Pradesh	84,665,533	60.96	41.14	34,327,666	11,664,731	45,992,397	1,557,800
2	Arunachal Pradesh	1,382,611	66.31	51.55	708,963	161,581	870,545	38,000
3	Assam	31,169,272	84.17	60.35	22,541,160	2,648,614	25,189,775	704,000
4	Bihar	103,804,637	85.12	74.53	78,374,264	8,742,078	87,116,341	2,501,000
5	Chhattisgarh	25,540,196	84.25	59.98	16,516,082	3,560,735	20,076,817	718,900
6	Delhi (NCT)	16,753,235	37.69	43.59	158,041	7,119,954	7,277,995	156,800
7	Goa	1,457,723	42.24	33.02	232,917	299,263	532,181	18,400
8	Gujarat	60,383,628	74.64	48.25	25,878,298	12,406,431	38,284,729	812,800
9	Haryana	25,353,081	54.61	41.05	9,027,848	3,621,262	12,649,110	302,500
10	Himachal Pradesh	6,856,509	56.23	30.99	3,468,157	213,429	3,681,586	197,100
11	Jammu and Kashmir	12,548,926	63.55	47.10	5,805,178	1,608,044	7,413,222	282,200
12	Jharkhand	32,966,238	86.48	60.20	21,651,951	4,773,434	26,425,385	917,900
13	Karnataka	61,130,704	76.04	49.36	28,554,943	11,638,187	40,193,130	1,199,700
14	Kerala	33,387,677	52.63	39.50	9,186,833	6,293,208	15,480,040	595,800
15	Madhya Pradesh	72,597,565	80.10	62.61	42,082,857	12,559,357	54,642,214	1,581,600
16	Maharashtra	112,372,972	76.32	45.34	46,971,481	23,045,203	70,016,683	2,505,300
17	Manipur	2,855,794	88.56	85.75	1,790,364	715,287	2,505,651	63,600
18	Meghalaya	2,964,007	77.79	50.87	1,842,823	302,695	2,145,517	70,200

19	Mizoram	1,091,014	81.88	48.60	433,175	273,121	706,296	26,100
20	Nagaland	1,980,602	79.83	61.98	1,123,097	355,605	1,478,702	47,500
21	Odisha	41,947,358	82.17	55.77	28,719,429	3,901,738	32,621,167	1,264,500
22	Punjab	27,704,236	54.79	44.83	9,487,875	4,656,688	14,144,562	179,400
23	Rajasthan	68,621,012	69.09	53.00	35,609,149	9,052,811	44,661,960	932,100
24	Sikkim	607,688	75.74	40.36	345,346	61,237	406,582	16,500
25	Tamil Nadu	72,138,958	62.55	37.79	23,261,863	13,207,503	36,469,365	1,864,600
26	Tripura	3,671,032	74.75	49.54	2,025,763	476,070	2,501,833	113,100
27	Uttar Pradesh	199,581,477	79.56	64.43	123,406,329	28,652,314	152,058,643	4,094,500
28	Uttarakhand	10,116,752	65.26	52.05	4,584,895	1,608,953	6,193,849	190,900
29	West Bengal	91,347,736	74.47	47.55	46,330,525	13,853,246	60,183,770	1,985,700
30	A&N Islands	379,944	24.94	1.70	60,956	2,304	63,260	10,700
31	Chandigarh	1,054,686	38.54	47.26	11,178	484,737	495,915	8,800
32	Dadra and Nagar Haveli	342,853	84.19	51.54	154,088	82,376	236,464	6,900
33	Daman and Diu	242,911	26.66	56.47	16,084	103,103	119,187	1,500
34	Lakshadweep	64,429	35.30	33.56	4,985	16,883	21,868	1,200
35	Puducherry	1,244,464	59.68	46.94	235,343	399,048	634,390	32,200
TOTAL		1,210,327,463	75	50	624,929,906	188,561,229	813,491,135	24,999,800

* Within the total State-wise number of persons to be covered under National Food Security Act, 2013, as indicated in Column 5(iii).

Annex-II

Statement on deletion of ineligible or bogus ration cards and inclusion of eligible households for the quarter ending June/Sept/Dec/March [see sub-clause (20) of clause 4]

I. <u>NFSA Implementing States.</u>

Household/ Beneficiary Category	Existing number of ration cards at beginning of the quarter	First Quarter ending June		Second Quarter ending September		Third Quarter ending December		Fourth Quarter ending March		No. of ration cards at the end of the quarter/year
		Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	
Priority										
Antyodaya Anny Yojana (AAY)										
Others (specify e.g. those covered by tide over allocation)										
Total										

II. States yet to start implementation of NFSA:

Household/ Beneficiary Category	Existing number of ration cards at beginning of the quarter	First Quarter ending June		Second Quarter ending September		Third Quarter ending December		Fourth Quarter ending March		No. of ration cards at the end of the quarter/year
		Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	
Antyodaya Anny Yojana (AAY)										
Below Poverty Line (BPL)										
Above Poverty Line (APL)										
Total										

Note: The information shall be furnished within two weeks after the end of every quarter.

Annex-III

Statement on doorstep delivery to the fair price shops for the quarter ending June/Sept/Dec/March [see sub-clause (12) of clause 7]

Total number of districts in the State/UT: _____

Total number of FPSs in the State/UT: _____

Sl. No.	Name of Agency	Type of Agency*	Nos. of districts covered under doorstep delivery by the Agencies	Total numbers of FPSs covered by the Agency under doorstep delivery
1				
2				
3				
4				
Total				

*As regards the type of agency, please indicate whether State Civil Supplies Corporation or other apex body, Cooperative Societies, Private Agency e.g. wholesalers, LAMPS, PACS etc., or any other agency. In case more than one agency is making door-step delivery in a one district, same may also be indicated.

Note: The information shall be furnished within two weeks after the end of every quarter.

Annex – IV

Format for furnishing annual Utilisation Certificate (UC) on distribution of foodgrains allocated by the Government of India from Central Pool for the period ending 31st March, every year [see sub-clause (2) of clause 8]

Utilisation Certificate for the year _____

This is to certify that during the __(year)_, _(quantity)_ tons of foodgrains were allocated by Government of India for distribution under TPDS/ additional allocation) and the same were distributed to the beneficiaries as follows, namely:-

(figures in tons)

Commodity	Allotment made by the Government of India	Quantity lifted by the State Govt.	Unlifted quantity out of the allotted quantity (col. 2 – col. 3)	Quantity distributed	Balance quantity out of the lifted quantity. (col. 3 – col. 5)	Reasons for unlifted/ undistributed quantity, if any.
1	2	3	4	5	6	7.
Rice						
Wheat						
Coarse grains						
Total						

Signature_____
Name of the officer_____
(to be signed by the Secretary of the
Food and Civil Supplies Department of the State Government/UTAdministration)

Date_____
Place_____

Note: The information shall be furnished on or before 30th June of the next financial year.

Annex-V

Annual Statement on monitoring of Targeted Public Distribution System and action taken (for the period ending 31st March, 20----) [see sub-clause (10) of clause 10]

(A)

No. of inspections conducted	No. of raids conducted	Nos. of FPS licences				No. of FIRs lodged	No. of persons arrested	Remarks
		Suspended	Restored	Cancelled	Pending for a decision			

(B)

I. Total number of fair price shops in the State / UT: _____

II. Total number of fair price shop owners' licenses suspended during the financial year: _____

III. Out of II above, numbers of fair price shop owners whose license was suspended for a period more than six months: _____

(C)

Details of fair price shop owners whose license suspended for a period of more than six months			
No. of licenses suspended	No. of licenses restored	No. of licenses cancelled	Pending for a decision

Note: The information shall be furnished on or before 30th June of the next financial year

Annex-VI

Annual Statement on functioning of Vigilance Committees (VCs) (for the period ending 31st March of the year)

[see sub-clause (6) of clause 11]

1. Total number of Districts in the State / UT:_____
2. Total number of Tehsils in the State/UT:_____
3. Total number of Blocks in the State / UT:_____
4. Total number of fair price shops in the State / UT:_____

	Total number of Vigilance Committees (VCs) set up	Periodicity of meetings of VCs prescribed by State/ T (i.e. monthly/once in two months/ quarterly)	No. of meetings held during the financial year
State/UT level			
District level			
Tehsil level			
Block level			
FPS level			
Total			

Note: The information shall be furnished on or before 30th June of the next financial year.

Annex-VII

Statement on handling of grievances (for the quarter ending June/Sept/Dec/March) [see sub-clause (12) of clause 11]

A. Toll free helpline Number (s): _____

B. Web address of State Portal for grievance registration and redressal: _____

I. Statement of Grievance Registration and Redressal:

Location / Source	Opening Balance of No. of Grievances	No. of Grievances received during the quarter	No. of Grievances disposed during the quarter	Closing Balance of No. of Grievances at the end of the quarter
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Call Centre				
State Portal				
District Grievance Redressal Officer (DGRO)				
Any other source				
Total				

Note: The information shall be furnished within two weeks after end of every quarter.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.